

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी: श्री संतो कपुरा आर.ए.एस

मुकदमा संख्या - 190/18

1- श्री गंगी मो० न० श्री रुस्तमपिनारा जिवासी-गाण्डन तहसील-गाण्डन [पंजी] प्राथी

वनाम

1- श्री देवीलाल न० श्री रोहनलाल शर्माकार जिवासी-गाण्डन तहसील-गाण्डन [पंजी] विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश :: दिनांक:- 11.7.18

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि०नियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कार रोडा पटवार हल्का संतो कपुरा तहसील मांडल/करेड़ा में उराके खाते/संयुक्त खातों की आराजी नं 8785/1, 8786/1 कुल किता 02 रकब 01 बीघा 13 विस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा रावंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07.7.18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य हैं।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कार रोडा पटवार हल्का संतो कपुरा तहसील मांडल/करेड़ा में स्थित आराजी नम्बर 8785/1, 8786/1 कुल विस्वा 02 रकब 01 बीघा 13 विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षण की जा 300/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

[Signature]  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार मांडल/करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

[Signature]  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा